

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	पन्ना जिले के अंतर्गत वनमण्डल उत्तर पन्ना में अजयगढ़-पन्ना 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन के निर्माण हेतु 39.1519 हेक्टेयर (ऑनलाईन रकबा 39.6495 हेक्टेयर) वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी.पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 04/07/2022

स्थान: भोपाल


(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल